राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2853/2015

गोपाल चन्द नागर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव सह आयुक्त, कृषि एवं उद्यान विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.11.2015
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्रपाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को प्रारम्भ में दिनांक 01.12.1982 को एलडीसी के पद पर नियुक्त किया गया था और उसे 9 एवं 18 साल की सेवा पूर्ण करने के बाद चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया था और उसे 27 साल की सेवा पूरी करने के बाद दिनांक 01.12.2009 को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ भी दिया गया था। इस संबंध में अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका, जो अनुसूची 'ए' के रूप में अंकित है, में आवश्यक प्रविष्टि भी की गई। दिनांक 17.06.2014 द्वारा क्लर्क ग्रेड–II की दिनांक 01.04.2014 के अनुसार एक वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई थी, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 11 अंकित है (अनुसूची 'B')। दिनांक 18.06.2015 और 18.06.2015 के माध्यम से, वरिष्ठता सूची क्लर्क ग्रेड II के कैडर में दिनांक 01.04.2015 की स्थिति दिखाते हुए प्रकाशित की गई थी, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 10 पर था और संशोधित सूची में क्रमांक 1 पर है (अनुसूची 'C')। अपीलार्थी वर्ष 2012–13 की रिक्ति के विरुद्ध यूडीसी के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र था और उससे पहले अपीलार्थी की एपीएआर मांगी गई। अपीलार्थी की एपीएआर सहायक निदेशक उद्यानिकी बांसवाड़ा द्वारा पत्र दिनांक 27.03.2014 द्वारा भेजी गई थी (अनुलग्नक–1)। पत्र दिनांक 29.01.2015 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी के पदोन्नति की अनुशंषा सहायक निदेशक उद्यान बांसवाड़ा द्वारा की गई। प्रत्यर्थी विभाग के पदोन्नति आदेश दिनांक 07.07.2015 (अनुलग्नक–3) द्वारा वर्ष 2012–13 की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति आदेश जारी करते समय बिना किसी कारण के अपीलार्थी को यूडीसी के पद पर पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया और कनिष्ठ व्यक्तियों को

पदोन्नत कर दिया गया। पदोन्नति आदेश दिनांक 07.07.2015 (अनुलग्नक–4) द्वारा दिनांक 01.04.2014 की वरिष्ठता के अनुसार 2014–15 एवं 2015–16 की रिक्ति के विरूद्ध अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों को भी पदोन्नत किया गया था। अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नत किए जाने तथा अपीलार्थी को उसकी पदोन्नति से वंचित रखे जाने पर अपीलार्थी ने 28.07.2015 (अनुलग्नक–5) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं मौखिक रूप से बताया कि अपीलार्थी को एपीएआर की उपलब्धता के अभाव में पदोन्नत नहीं किया गया। जहां तक एपीएआर की अनुपलब्धता का सवाल है, कार्मिक विभाग ने दिनांक 22.06.2004 को एक परिपत्र जारी किया था कि यदि कोई एपीएआर अनुपलब्ध है तो शेष उपलब्ध एपीएआर को पदोन्नति के मामले के मूल्यांकन के लिए देखा जाएगा और यही परिपत्र 04.06.2008 को भी जारी किया गया है। लेकिन उक्त परिपत्रों का पालन किए बिना अपीलार्थी की बिना किसी गलती के उसकी पदोन्नति के मामले पर विचार नहीं किया गया है। अपीलार्थी को गलत एवं गैर कानूनी रूप से वरिष्ठ लिपिक की पदोन्नति से वंचित रखा गया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.07.2015 (अनुलग्नक–3 एवं 4) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को उसके कनिष्ठों की पदोन्नति की तारीख से वर्ष 2012–13 की रिक्ति के विरुद्ध क्लर्क ग्रेड II के पद से यूडीसी (अब क्लर्क ग्रेड I) के पद पर सभी पारिणामिक लाभों के साथ पदोन्नत किया गया।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी गोपालचन्द नागर कनिष्ठ लिपिक का नाम वर्ष 2012–13 में कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति हेतु सम्मिलित किया गया, नियमानुसार पदोन्नति हेतु कार्मिक की गत 7 वर्षों के लिए (वर्ष 2006–07 से 2012–13) में से केवल वर्ष 2006–2007, 2007–2008 (दो वर्षों के) वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदना उपलब्ध होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में अपीलार्थी गल 7 वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदना उपलब्ध होने पर पदोन्नति आदेश जारी किये जाने का निर्णय लिया गया। अपीलार्थी द्वारा अपने वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन सहायक निदेशक उद्यान बांसवाडा को भिजवाना बताया जा रहा है परन्तु इस आयुक्तालय में अपीलार्थी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नही हुए है। जब अपीलार्थी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेंगे, अपीलार्थी को वर्ष 2012–13 की रिक्तियों पर आरक्षित रखे गये पद के विरूद्ध पदोन्नति के नियमानुसार आदेश जारी किये जायेंगे। पदोन्नति उपरान्त अपीलार्थी को वर्ष 2012–13 में अपीलार्थी से वरिष्ठ कार्मिक के नीचे अपीलार्थी की वरिष्ठता निर्धारण की जायेगी। विभाग के गोपनीय शाखा में

अपीलार्थी के केवल वर्ष 2006–2007 व 2007–2008 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त हुए है। सहायक निदेशक उद्यान बांसवाडा के पत्र दिनांक 27.03.2014 प्रदर्श–1 अनुसार अपीलार्थी के गोपनीय प्रतिवेदन सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) बागीदोरा से उप निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद बांसवाडा को पृथक पृथक पत्रों द्वारा भिजवाना बताया है, लेकिन गोपनीय प्रतिवेदन आयुक्तालय कृषि के गोपनीय शाखा में प्राप्त नही होना पाया गया है। अपीलार्थी द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन गोपनीय प्रतिवेदन भिजवाने के संबंध में अपनी ओर से कोई प्रयास नही किये गये है। अपीलार्थी को कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के संबंध में अपने स्तर पर भी प्रयास करने चाहिए एवं विभाग द्वारा भी कार्यवाही की जा रही है। अपीलार्थी का वरिष्ठता के आधार पर वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरूद्ध कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति हेतु नियमानुसार वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्राप्त होते ही चयन किया जाना है। पदोन्नति उपरान्त अपीलार्थी को वर्ष 2012–13 में अपीलार्थी से वरिष्ठ कार्मिक के नीचे अपीलार्थी की वरिष्ठता निर्धारण की जायेगी। जिस कारण अपीलार्थी की वरिष्ठता पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नही पडेगा। अपीलार्थी किसी प्रकार का कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील निरस्त किए जाने योग्य है।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अनुशीलन कर मनन किया गया।

उभय पक्ष के अभिकथनों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का वर्ष 2012–13 की रिक्ति के विरूद्ध वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किया गया एवं गत 7 वर्षों में से मात्र 2 वर्ष के एपीएआर उपलब्ध होने से उसके लिए एक पद रिक्त रखा गया। 7 वर्षों की एपीएआर उपलब्ध होने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 2012–13 की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नत करने एवं उसकी वरिष्ठता को यथावत रखे जाने का अभिकथन किया है। उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा गत 7 वर्षों की एपीएआर सहायक निदेशक उद्यान, बांसवाड़ा को प्रस्तुत करने पर उन्होंने उच्चतर स्तर पर प्रस्तुत कर दी थी। इससे जाहिर है कि एपीएआर अनुपलब्धता में अपीलार्थी के स्तर पर कोई त्रुटि या कमी नहीं है। उसके द्वारा सभी एपीएआर प्रस्तुत की जा चुकी है एवं इसके बावजूद अपीलार्थी को वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरूद्ध 10 वर्ष बाद तक पदोन्नत नहीं करना कतई उचित नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग का यह दायित्व है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत एपीएआर को पूर्ण कराई जाकर तदानुसार अपीलार्थी को पदोन्नति प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण किया जाता। पदोन्नति हेतु कार्मिक विभाग द्वारा वर्ष 2008 में जारी परिपत्र से स्पष्ट है कि वरिष्ठता सह योग्यता पदोन्नति मामलों में यह देखा जायेगा कि अपीलार्थी के गत 7 वर्षों का सेवाभिलेख संतोषप्रद है एवं उसके सेवाभिलेख में कोई प्रतिकूलता नहीं है। यह प्रत्यर्थी विभाग का

दायित्व है कि अपीलार्थी को गत 7 वर्षों के सेवाभिलेख के आधार पर उसके पदोन्नति प्रकरण का निस्तारण किया जाता।

अतः उपलब्ध दस्तावेजात/तथ्यों के दृष्टिगत अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा विभाग को प्रस्तुत एपीएआर को पूर्ण कराया जावे एवं यदि विभाग में अनुपलब्ध है एवं आवश्यक हो, तो नये सिरे से एपीएआर संधारित की जाकर एवं उसके सेवाभिलेख के दृष्टिगत 3 माह में अपीलार्थी का पदोन्नति प्रकरण निस्तारित किया जावे एवं गत 7 वर्षों के सेवाभिलेख में कोई प्रतिकूलता नहीं होने की दशा में अपीलार्थी को वर्ष 2012–13 की वरिष्ठ लिपिक की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की जाकर उसकी वरिष्ठता को सही स्थिति में संधारित किया जावे एवं उससे कनिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान करने की तिथी से समस्त परिलाभ प्रदान किए जावे।

आदेश आज दिनांक.....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य